सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 205/2011 दायर दिनॉक 05.10.2011

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. कमला देवी पत्नी हीरालाल पुत्री बालूराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मूलचन्द पुत्र बालूराम 2. चुन्नीलाल उर्फ चेनाराम पुत्र बालूराम 3. चम्पालाल पुत्र बालूराम 4. तुलसीराम पुत्र बालूराम समस्त जाति माली निवासी टीबा बास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह वकील, वादीनी
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 17.12.2019

मूल वाद में प्रतिवादी मूलचन्द व चुन्नीलाल उर्फ चेनाराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीनी ने उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के एक अन–रजिस्ट्रर्ड मियाद बाहर इकरारनामा दिनांक 08.05.1990 के आधार पर सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2658 रकबा 10 बीघा भूमि में से 01 बीघा भूमि बावत घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत किया है। न्यायालय हाजा को इकरारनामें के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इकरारनामें के आधार पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय हाजा को है। अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। वादीनी का इकरारनामें के आधार पर वाद को न्यायालय हाजा को श्रवणाणिकार नहीं होने से वादीनी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का इकरारनामें के आधार पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद को मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करावें।

वादीनी की ओर से जवाब पेश हुआ। वकील वादीनी के जवाब अनुसार वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 2658 रकबा 10 बीघा भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 की पैत्रिक सम्पति की है। जिसमें से 01 बीघा भूमि वादीनी के पिता बालुराम व उसके भाई प्रतिवादीगण मूलचन्द व चुन्नीलाल ने जरिये इकरारनामा दिनांक 08.05.1990 को दे दी। जिसके पडौस भी इकरारनामा में दर्ज करा लिये। वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता बालुराम की खातेदारी से उनके जायज वारिस हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। जबकि वादीनी अपने पिता के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। जिस बाबत वादीनी ने घोषणा खातेदारी का दावा किया है। प्रतिवादी मूलचन्द व चुन्नीलाल द्वारा बअनुवान तुलछीराम बनाम मूलचन्द मुकदमा नं0 283/97 में वादग्रस्त खसरा नम्बर में से 01 बीघा भूमि पर कब्जा होने बाबत स्वीकृति लिखित में दी है। जिससे भी यह आवेदन खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 2658 में से 01 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त दिनांक 08.05.1990 से पहले से ही है। जिस बाबत वादीनी का प्रतिकुल कब्जा भी साबित होता है एवं पैत्रिक सम्पति से भी यह वाद न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है। इसलिए आवेदन खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस उभय पक्षकरान सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 2658 रकबा 10 बीघा भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 की पैत्रिक सम्पति की है। जिसमें से 01 बीघा भूमि वादीनी के पिता बालुराम व उसके भाई प्रतिवादीगण मूलचन्द व चुन्नीलाल ने जरिये इकरारनामा दिनांक 08.05.1990 को दे दी। जिसके पडौस भी इकरारनामा में दर्ज करा लिये। वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता बालुराम की खातेदारी से उनके जायज वारिस हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। जबकि वादीनी अपने पिता के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी मूलचन्द व चुन्नीलाल द्वारा बअनुवान तुलछीराम बनाम मूलचन्द मुकदमा नं0 283/97 में वादग्रस्त खसरा नम्बर में से 01 बीघा भूमि पर कब्जा होने बाबत स्वीकृति लिखित में दी है। जिससे भी यह आवेदन खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 2658 में से 01 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त दिनांक 08.05.1990 से पहले से ही है। जिस बाबत वादीनी का प्रतिकुल कब्जा भी साबित होता है एवं पैत्रिक सम्पति से भी यह वाद न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है। वादीनी का उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन होने से भी वादीनी उक्त भूमि की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीनी का वाद अन–रजिस्ट्रर्ड मियाद बाहर इकरारनामा दिनांक 08.05.1990 के आधार पर सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2658 रकबा 10 बीघा भूमि में से 01 बीघा भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बाबत घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत किया है। न्यायालय हाजा को इकरारनामें के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इकरारनामें के आधार पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय हाजा को है। अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। वादीनी का इकरारनामें के आधार पर वाद को न्यायालय हाजा को श्रवणाणिकार नहीं होने से वादीनी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीनी को खातेदारी अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार नहीं दिये जा सकते है। अतः वादीनी का वाद खारिज किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी ने इकरारनामें की प्रति पेश की। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीनी ने उक्त वाद इकरारनामें के आधार पर पेश किया है। जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय हाजा को नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इकरारनामें के आधार पर वाद सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है।

इकरारनामा के आधार पर वादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादीनी का वाद खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 15:23:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: